
भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय





पोस्ट—विधानसभा, रायपुर—492005 (छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स—0771—2282530, 2285590/95 ई—मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



File no- CHG/BST/Fe—15/433

MINE CODE 30MPR48001

दिनांक - 11.01.2023

प्रेषिति.

श्री डी. के. मोहंती, निदेशक सर्वश्री एन.एम.डि.सि, लिमिटेड कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद, तेलंगाना- 500028 श्री बी.वेंकटेश्वरौलु, मुख्य महाप्रबंधक (खान) सर्वश्री एन.एम.डि .सि, लिमिटेड, बायोम, बचेली कॉम्प्लेक्स, बचेली, जिला: दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़- 494553

विषय, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम - बचेली, तहसील – बड़े बचेली, और जिला – दंतेवाड़ा, में स्थित आपकी Deposit -10 Iron Ore Mines, बचेली (क्षेत्रफल 309.240 हेक्टर) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय

आपके उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 11.11.2022 को श्री देवदुर्लभ दाश, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा श्री बी.वेंकटेश्वरौलु, मुख्य खान प्रबंधक(खान)की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	The mining operations are required to be carried out in accordance with the Mining Plan
	approved, modified or reviewed by Indian Bureau of Mines. However, the mining operations
	have not been observed carried out in accordance with Review & updation of Mining Plan
	approved vide letter No. Dantewada/Iron/Sl.No 1218/2019 dated 16.12.2019 for the period
	from 2020-21 to 2024-25 to the extent indicated below:
	(i) Against proposal of 40,000 m ³ of waste generation during the year 2021-22 in the approved Mining Plan, waste generation of 1,79,471 m ³ has been reported in the Annual Return submitted for the year 2021-22.
	Moreover, during the inspection of the mine, no new waste dump accommodating such huge quantity of waste was observed. Further, configuration of the existing waste dumps were also found unchanged; it indicates incorrect data reporting or unsystematic waste disposal in the mine.
	(ii) Garland drain of 200 mtrs was proposed around waste dumps during the year 2021-22, against which no work has been done.
	Hence, the above are observed to be against systematic and scientific development of mines and protection of environment.

- (2) इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
- (3) नियम 11(1) के नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत :-
- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है। (ख) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर की जा सकती है।
- 3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 11(1) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(प्रेम प्रकाश) क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि- सूचनार्थ।

- 1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 Email-com.cz@ibm.gov.in
- 2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर